

बरकतउल्लाविश्वविद्यालय, भोपाल

विज्ञापन क्रमांक-2248/प्रशा/बीयू/नियुक्ति/2015

भोपाल, दिनांक 24/11/2015


27/11/15

यूजीसी एवं मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा जारी की गई गाइड लाईन के आधार पर संवर्गवार आरक्षण रोस्टर का संधारण किया जाकर एग्जिट पॉलिसी के अंतर्गत निम्न रिक्त शैक्षणिक पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति कर शिक्षकों की पूर्ति हेतु योग्य अभ्यर्थियों को Walk In interview हेतु आमंत्रित किया जाता है। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ नीचे दी गई तिथियों पर विषय अनुसार कुलपति बरकतउल्ला, विश्वविद्यालय, भोपाल के कार्यालय में दिनांक 5, 7, एवं 8 दिसम्बर 2015 प्रातः 11.00 बजे उपस्थित हो 12.00 बजे दोपहर के बाद उपस्थित आवेदकों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवश्यक प्रमाण पत्रों/अंकसूचियों की सत्यापित छायाप्रतियों के साथ एवं मूल प्रमाण पत्रों के साथ साक्षात्कार हेतु उपस्थित होंवे शैक्षणिक योग्यता यूजीसी*/एआईसीटीई के नियम/प्रावधान के अनुसार होगी।

स. क्र.	विभाग का नाम यू.आई.टी	असिस्टेंट प्रोफेसर (रिक्त पद -32) निर्धारित वेतन ₹0 25000/- प्रतिमाह								कुल पद	विषय का नाम
		अना.		अ.ज.जा.		अ.जा.		अ.पि.वर्ग			
		म. (#)	म. (#)	म. (#)	म. (#)	म. (#)	म. (#)				
1	कम्प्युटर साइंस इंजी.	2	2	1	1	1	1	-	-	08	कम्प्युटर साइंस इंजी.
2	इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्युनिकेशन	2	-	1	1	1	-	-	1	06	इलेक्ट्रानिक्स
3	इनफारमेशन टेक्नालाजी	2	-	1	-	1	1	-	-	05	इनफारमेशन टेक्नालाजी
4	एमसीए	2	1	1	-	-	-	1	-	05	एमसीए
5	*मेथ्स	-	1	-	1	1	-	-	-	03	*मेथ्स(यूजीसी योग्यतानुसार)
	मेकेनीकल	-	1	2	-	1	-	-	1	05	मेकेनीकल
	योग	08	05	06	03	05	02	01	02	32	

नोट:-

- 1 अना-अनारक्षित, अ.पि.वर्ग-अन्य पिछडा वर्ग, अ.जा.-अनुसूचित जाति, अ.ज.जा.-अनुसूचित जनजाति।
- 2 सिर्फ म.प्र. के मूल निवासी को ही आरक्षण की सुविधा का लाभ दिया जावेगा।
- 3 (#) महिलाओं के लिए आरक्षित।
- 4 उपरोक्त सभी पद अस्थायी है एवं कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 3758/1312/13/विवि/08/06 भोपाल दिनांक 3/8/06 एवं राज्य शासन उच्च शिक्षा विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 8/17/03/सीसी/38/191 दिनांक 16/02/2006 के अनुरूप पद एक्जिट पालिसी में उपलब्ध है।
- 5 सभी पदों पर नियुक्ति करना आवश्यक नहीं है योग्य उम्मीदवार उपलब्ध होने पर ही पदों पर संविदा नियुक्ति की जावेगी।
- 6 निशक्तजन वर्ग के उम्मीदवारों के लिये राज्य शासन के नियमानुसार 6 प्रतिशत आरक्षण लागू है। उक्त श्रेणी के उम्मीदवार अर्हतानुसार आवेदन कर सकते हैं।
- 7 उपरोक्त संविदा नियुक्तियों विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 76वीं बैठक (26 जून 2006) में लिये गये निर्णयानुसार होंगी जो प्रथमतः 6 माह के लिये एवं अधिकतम 03 वर्ष तक शिक्षकों के कार्य के आधार पर बढ़ाये जाने योग्य होगी।
- 8 नियुक्त संविदा शिक्षकों को निश्चित वेतन (Consolidated) ₹0 25,000/- प्रतिमाह (एआईसीटीई योग्यताधारी शिक्षकों को) देय होगा।


 कुलसचिव